उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या–17/2025

मेसर्स क्लासिक इंजीकॉम प्रा०लि० बनाम् जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
13/05/25	अभिलेख उपस्थापित। मेसर्स क्लासिक इंजीकॉम प्रा०लि०, निदेशक, प्रशांत कुमार बर्मा, ग्राम–307, गोविन्द टावर, हरिहर सिंह रोड, बरियातु, जिला–राँची के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक–215/खनन, दिनांक–29.01.2025, पत्रांक–239/खनन, दिनांक–05.02.2025 एवं पत्रांक–375/खनन, दिनांक–06.03.2025 के विरूद्ध Jharkhand Minerals (Preventation of Illegal Mining, Transportation & Storage) 2017 के Rule-14 के तहत यह आवेदन दायर किया गया है। वाद को सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि का कहना है कि वर्तमान अपील जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश संख्या–375 दिनांक–06.03.2025 के विरुद्ध दायर की गई है। जिसे अपीलार्थी ने दिनांक–06.03.2025 को ई–मेल के माध्यम से तथा दिनांक–11.03.2025 को भारतीय डाक द्वारा प्राप्त किया था। जिसके तहत झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम, 2017 के अंतर्गत लाइसेंसधारी को उक्त आदेश में उल्लिखित नियम के तहत जुर्माना के तौर पर मात्र 1,37,50,628/– (एक करोड सैतीस लाख पचास हजार छः सौ अठाईस) रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अपीलार्थी को खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर पत्थर लघु खनिज के भंडारण के लिए झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के अंतर्गत लघु खनिज विक्रेता लाइसेंस संख्या–J030918017 वर्ष–2021 प्रदान किया गया है। अपीलार्थी अपने सड़क निर्माण व्यवसाय के लिए वैध कानूनी स्रोतों से पत्थर लघु खनिज खरीदा जाता है तथा लाइसेंस क्षेत्र में उसका भंडारण एवं मिश्रण किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (JSPCB) से संचालन के लिए सहमति प्राप्त करने के बाद भंडारण किया गया है। खान निरीक्षक, रामगढ़ ने अचल अमीन, दुलमी अंचल और सी०सी०एल० रजरप्पा क्षेत्र के सर्वेक्षक और चेनमैन के साथ दिनांक–22.01.2025 को मौजा–सिकनी, थाना–रजरप्पा में स्थित हमारे लाइसेंस क्षेत्र का निरीक्षण किया और कथित तौर पर खनिज स्टॉक के खनिज पारगमन चालान	

के सत्यापन की आड़ में वहां उपलब्ध पत्थर लघु खनिज की माप ली और उसके बाद दिसम्बर 2025 के मासिक रिटर्न के समापन स्टॉक की तुलना में खनिज स्टॉक में कुछ कथित विसंगतियों पर लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लाइसेंसधारी ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक–04.02.2025 को लिखित में दिया, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No.-5118/2019 में पारित आदेश दिनांक–24.02.2020 के अनुसार लाइसेंस क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण करने की मांग की गई, ताकि लाइसेंसधारी कथित विसंगतियों का अनुपालन कर सके। लइसेंसधारी द्वारा W.P.(C) No.-5118/2019 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–24.02.2020 के आलोक में वाद की कार्रवाई नहीं किए जाने का अनुरोध किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ ने अंतिम आदेश संख्या–375 दिनांक–06.03.2025 द्वारा खनिज का जुर्माना मूल्य 1,37,50,628 /– (एक करोड सैतीस लाख पचास हजार छः सौ अठाईस) रूपये भुगतान का आदेश दिया गया है।

सी०सी०एल० रजरप्पा परियोजना के सर्वेयर और सी०सी०एल० रजरप्पा परियोजना के चेनमैन झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम–11 के तहत सक्षम अधिकारी नहीं हैं। इसलिए किसी अक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया कोई भी माप अमान्य और प्रभावहीन है। विपक्षी माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No.-5118/2019 में पारित आदेश दिनांक–24.02.2020 का पालन करने में जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ विफल रहे है।

संतोष सिंह हमारे परिसर के केयर टेकर हैं, जिनके पास खनिजों के मापन का कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के आधिकारिक रिकॉर्ड में संयुक्त जाँच के उद्देश्य से संतोष सिंह को हमारे अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियम, 2004 के नियम–54(6) के तहत जुर्माना लगाने की शक्तियॉं जिला खनन अधिकारियों को नहीं सौंपी गई हैं। झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियम, 2004 के नियम–54(6) में "भंडारण" शब्द का उल्लेख नहीं है और केवल "खनन" का उल्लेख है जिसे झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियम, 2004 के नियम–2(18) के तहत परिभाषित किया गया है। विवादित आदेश ऐसी किसी भूमि या भूखण्ड की पहचान करने में विफल रहा है जिस पर ऐसा अवैध खनन किए जाने का आरोप है। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ का माप में अनेकों अंकगणितीय और इकाई त्रुटियों से भरा है। कथित माप मे सभी खनिज ढेरों को औसत करके LxBxH जैसे घनाकार आकार में मान लिया है, जो सही नहीं है क्योंकि खनिज ढेर कभी भी नियमित घनाकार आकार में नहीं होते हैं। कथित माप पत्रक ने GSB को पत्थर के चूर्ण के रूप मे दर्ज किया है, जबकि लाइसेंसधारी अपने सड़क निर्माण उद्देश्य के लिए पत्थर के चूर्ण के साथ पत्थर के चिप्स को मिलाने के लिए पूरी तरह सक्षम है।

उपरोक्त मामले में राज्य भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला, हजारीबाग द्वारा निर्धारित वायु शून्यता प्रतिशत पत्थर की धूल में 6% और पत्थर के चिप्स में 46% के बराबर निकला गया है एवं जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के

Scanned with OKEN Scanner

आक्षेपित पारित आदेश संख्या–375 दिनांक–06.03.2025 को अस्वीकृत किया जाए।

उक्त के आलोक में अपीलार्थी के प्रतिनिधि द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के ज्ञापांक–215/खनन, दिनांक–29.01.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुज्ञप्ति स्थल का खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ के नेतृत्व में अंचल अमीन, दुलमी अंचल, रामगढ तथा सी०सी०एल० रजरप्पा के सर्वेक्षक एवं जंजीर वाहक द्वारा दिनांक–22.01.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में अनुज्ञप्ति स्थल पर Stone Chips 10mm -1156.32 cum, Stone Chips 20mm - 2516.51cum, Stone Boulder- 105 cum, Stone Dust-7058 cum, Sand-2170.96 का भण्डारण पाया गया। स्थल पर पाये गये खनिज के मात्रा का मिलान एवं अपीलार्थी द्वारा दाखिल अंतिम मासिक विवरणी माह दिसम्बर 2024 मे खनिज का अंतिम शेष मात्रा समान नहीं पाया गया, जिससे सभंव है कि अपीलार्थी द्वारा खनिज का खरीद–बिक्री वैध स्रोत से नहीं किया गया है, जो कि Certificate of Dealer's Registration के 11 (ii) का उल्लघंन है। उक्त पायी गई अनियमितता Jharkhand Minerals (Preventation of Illegal Mining, Transportation & Storage) 2017 के Rule-14 के नियमों के विवरीत है। जिसके आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के ज्ञापांक–375/खनन, दिनांक–06.03.2025 द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में अनुज्ञप्ति स्थल में पायी गई खनिज का भण्डारित मात्रा एवं अपीलार्थी द्वारा दाखिल मासिक विवरणी माह दिसम्बर 2024 में अंकित खनिज का अंतिम शेष मात्रा का अन्तर का अवैध मानते हुए दण्ड/जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जो निम्नवत है :–

खनिज का नाम	निरीक्षण के क्रम मे पायी गई भण्डारित मात्रा	दाखिल मासिक विवरणी माह दिसम्बर 2024 में खनिज का अंतिम शेष मात्रा	अंतर मात्रा	देय जुर्माना/ दण्ड की राशि
Stone Boulder	3708 cft	शून्य	3708 cft	3708x15.79x2 =1,17,099.00
Stone Chips	129706 cft	238800 cft	109094 cft	109094x35.25x2 =76,91,127.00
Stone Dust	249253.27 cft	शून्य	249253.27 cft	249253.27x8.59x2 =42,37,306.00
Sand	76668 cft	अनुज्ञप्ति प्राप्त नही किया गया है।	76668 cft	76668x11.12x2 =17,05,096.00
			कुल	1,37,50,628.00

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक–215/खनन, दिनांक–29.01.2025, पत्रांक–239/खनन, दिनांक–05.02.2025 एवं पत्रांक–375/खनन, दिनांक–06.03.2025 के विरूद्ध Jharkhand Minerals (Preventation of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 14 के तहत यह अपील आवेदन दायर किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा भंडारित खनिज एवं दायर मासिक रिर्टन में भिन्नता के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध मौजुद खनिज

Scanned with OKEN Scanner

की दुगनी राशि 1,37,50,628 /— (एक करोड सैतीस लाख पचास हजार छः सौ अठाईस) रूपये का जुर्माना किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा भंडारित खनिज से संबंधित मापन में अनेकों त्रुटियाँ परिलक्षित होती है। विशेष रूप से, खनिज को घनाभ आकार में मानना, GSB को स्टोन डस्ट के रूप में आकलन, CCL Rajrappa सर्वेयर और चेनमैन का निरीक्षण हेतु प्राधिकार प्रश्नवाचक है। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय राँची द्वारा W.P.(C) No.-5118/2019 में पारित आदेश के आलोक में यह भी विचारणीय है कि अपीलार्थी को संयुक्त सत्यापन का समुचित अवसर प्रदान किया गया था या नहीं। अतः दायर आवेदन के आलोक में वर्णित तथ्यों की पुनः जाँच कर निर्णय लिए जाने हुए आवेदन निम्न न्यायालय को Remand किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करते हुए तार्किक व मुखर आदेश पारित करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को भेंजे।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 13/05/25

उपायुक्त,

रामगढ़।

Chandan 13/05/25

उपायुक्त,

रामगढ़।

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.05.21 22:03:02 +05:30
Location: 192.168.15.197

Scanned with OKEN Scanner